

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/19

जयपुर, दिनांक : 21-05-2019

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	22/2001	श्री डालचन्द मीना एम.टी.एस. स्थानीय निकाय राज0 सरकार, जयपुर	01.4.2028	एच-912, गांधीनगर (एच-915, गांधीनगर के स्थान पर)
2.	22/2002	श्री मिश्री लाल श्री जगदीश प्रसाद चौधरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधानाध्यापिका राजस्थान बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर	31.3.2027	एच-517, गांधीनगर
3.	21/2005	श्री रूपनारायण शर्मा सहायक कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कारागृह जयपुर	30.4.2025	एच-534, गांधीनगर
4.	23/2005	श्री गिरधारी सिंह वार्ड बॉय सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2037	एच-549, गांधीनगर
5.	24/2005	श्री कन्हैयालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पारिवारिक न्यायालय जयपुर	01.4.2027	एच-562, गांधीनगर
6.	1/2006	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा वाहन चालक कार्यालय सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड रामगढ जयपुर	31.5.2029	एच-563, गांधीनगर
7.	2/2006	श्री जय सिंह राजावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.3.2024	एच-568, गांधीनगर
8.	4/2006	श्रीमती राजू बैरवा वार्ड बॉय सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2039	एच-533, गांधीनगर
9.	5/2006	श्री अमर सिंह गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	31.7.2029	एच-575, गांधीनगर
10.	6/2006	श्री मुकेश सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. कैसेज जयपुर	31.8.2037	एच-579, गांधीनगर
11.	7/2006	श्री महेश कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशक दूर संचार राज. पुलिस घाटगेट जयपुर	30.4.2020	एच-585, गांधीनगर
12.	10/2006	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा हेल्पर (वाहन चालक) सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड रामगढ मुख्यालय जयपुर	31.5.2029	एच-586, गांधीनगर

13.	11/2006	श्री नन्द सिंह सहायक कर्मचारी जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर	31.1.2032	एच-592, गांधीनगर
14.	12/2006	श्री मुन्नालाल सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अतिरिक्त निदेशक कार्या. आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर	30.9.2019	एच-656, गांधीनगर
15.	13/2006	श्री सीताराम सफाई कर्मी अतिरिक्त निदेशक कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर	31.3.2026	एच-659, गांधीनगर
16.	14/2006	श्रीमती पांची देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य बीमा एवं प्रा.नि.वि. जयपुर शहर जयपुर	28.2.2034	एच-855, गांधीनगर
17.	16/2006	श्री मंगल सिंह वार्ड बॉय जे.के.लॉन अस्पताल जयपुर	31.1.2020	एच-857, गांधीनगर
18.	18/2006	श्रीमती माली देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त 'एफ', जयपुर	30.11.2030	एच-865, गांधीनगर
19.	19/2006	श्री लक्ष्मण सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. कैसेज जयपुर	28.2.2034	एच-882, गांधीनगर
20.	20/2006	श्री विजेन्द्र कुमार मिश्रा पुजारी कार्या. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर	31.10.2026	एच-885, गांधीनगर
21.	21/2006	श्री किशन लाल बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंचायतराज विभाग, जयपुर	31.7.2022	एच-888, गांधीनगर
22.	49/2014	श्रीमती सुनिता देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगरीय विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2034	एच-891, गांधीनगर
23.	57/2014	श्री भंवर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.5.2038	एच-894, गांधीनगर
24.	12/2015	श्री हनुमान मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-3/कम्प्यूटर स्टोर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2029	एच-899, गांधीनगर
25.	31/2015	श्री रामचन्द्र गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2032	एच-903, गांधीनगर
26.	46/2015	श्री राजा जौलिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.3.2056	एच-906, गांधीनगर
27.	55/2015	श्री महेन्द्र कुमार स्वामी सहायक कर्मचारी सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2030	एच-909, गांधीनगर

28.	61/2015	श्री रामनारायण मीणा सहायक कर्मचारी पर्यटन विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.10.2046	एच-911, गांधीनगर
29.	39/2016	श्री विनोद कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदेशों की प्रतीक्षा में कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2046	एच-914, गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


ह,

(चन्दा लाल मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैंसेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय राज. सरकार, जयपुर/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर/दूर संचार राज0 पुलिस, घाटगेट, जयपुर/राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त 'एफ', जयपुर/देवस्थान विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड रामगढ़ मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

9. प्रधानाध्यापिका, राजस्थान बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कारागृह जयपुर/पारिवारिक न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल/जे.के. अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
20. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर